



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं. : NCST/ATY-2008/MH/1/2024-APCR (RU-I)

दिनांक: 03.12.2025

पुलिस अधीक्षक,
जिला-नंदुरबार,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
नंदुरबार-425412, महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.nandurbar@mahapolice.gov.in

विषय: सुश्री तिजया इनद्या वसावे, टेंबरिगवानपाड़ा सारी, तालुका-अक्कालकुवा, जिला-नंदुरबार, महाराष्ट्र द्वारा माननीय आयोग को अपनी पुत्री मोगीवाई पदावी एवं उसके बेटे की संदेहास्पद स्थितियों में हत्या एवं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के खिलाफ शिकायत एवं दोषियों के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही के लिए अभ्यावेदन।

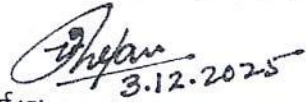
संदर्भ: आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.12.2024 एवं 26.05.2025 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुरारण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्यवाही के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 19.12.2025 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी रांगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।


(चेतन कुमार शर्मा/Chetan Kumar Sharma)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: chetan.sharma777@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

सुश्री तिजया इनद्या वसावे,
टेंबरिगवानपाड़ा सारी, तालुका-अक्कालकुवा,
जिला-नंदुरबार, महाराष्ट्र
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग
में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।